न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

GCMS NO 2022/123

अपील संख्या – 77/22

1. कल्याण पुत्र मिश्रा जाति मीना निवासी खेडी चांदला हिण्डौन सिटी जिला करौली
2. ख्याल बाई पुत्री मिश्रा पत्नि अमर सिह जाति मीना निवासी राजौली तहसील टोडाभीम जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. साबू पुत्र मिश्रा जाति मीना निवासी खेडी चांदला हिण्डौन सिटी जिला करौली
2. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार हिण्डौन सिटी जिला करौली
3. उप पंजीयक हिण्डौन सिटी जिला करौली
4. भूमि बिकास बैंक शाखा हिण्डौन सिटी जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 203/2006 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.9.22 न्यायालय उपजिला कलक्टर, हिण्डौन सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री सुनिल कुमार जिंदल
अभिभाषक रैस्पो0 श्री ईवश्र सोनी / नरेन्द्र सिंह जादौन

दिनांक 28.5.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.9.22 न्यायालय उपजिला कलक्टर, हिण्डौन सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा दावा बाबत घोषणा खातेदारी,इन्द्राज दुरूस्ती ,तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता का नाम मिश्रा था। जिसका प्रथम विवाह वादी की मॉ मु0मूल देवी के साथ हुआ जिसमे वादी पैदा हुआ। वादी की मॉ मूली देवी वादी को 6 माह का छोडकर स्वर्ग सिधार गई। तत्पश्चात स्व0मिश्रा ने करीब 6 वर्ष बाद प्रतिवादी न0 4 सोमोती से विवाह कर लिया। जिससे ख्यालबाई व कल्याण पैदा हुए। सोमोती जिवित है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादी न0 1 व 2 स्वर्गीय मिश्रा के पुत्र व पुत्री है तथा प्रतिवादी न0 3 स्व0मिश्रा की पत्नि है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जाति से मीना है जो अनुसूचित जनजाति के रूप मे दर्ज है। मीना जाति पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते है वरन हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व प्रचलित कानून मिताछरा हिन्दु लॉ लागू होता है। मीना जाति अपने रिती रिवाज प्रथा व रूढियो से संचालित होती है। मीना जाति मे महिलाऐ कोपार्सनरी सम्पति मे कोई हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नही होती है। केवल पुरूष सदस्यो को ही विरासत का अधिकार होता है तथा पुरुष सदस्यो को ही कोपार्सनर माना जाता है। मृतक के पौत्र या प्रपौत्र न होने की स्थिति मे विधवा को मृतक की सम्पति मे विरासत के अधिकार प्राप्त होते है। यदि पुत्र पौत्र या प्रपौत्र जिन्दा हो तो विधवा को मृतक की सम्पति मे कोई विरासत का अधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Bairwa
Date: 2025.10.10 13:54:27 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

1

प्राप्त नही होता है। पुत्र, पौत्र प्रपौत्र तथा विधवा के न होने पर मृतक की पुत्री को अधिकार प्राप्त होते है। मीना जाति मे पुरूष सदस्यो को ही विरासत मे सम्पति प्राप्त करने का अधिकार है। वादी के पिता स्व0मिश्रा की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा न0 10 रकबा 0.14 है0 , 26 रकबा 0.14 है0, 110 रकबा 0.31 है0, 111/906 रकबा 0.04 है0, 112 रकबा 0.06 है0, 114 रकबा 0.60 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.29 है0 वाके ग्राम खेडी चांदला तहसील हिण्डौन सिटी स्थित है। जिसमे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर बराबर 1/2, 1/2 हिस्सा है तथा मीना जाति के कानून के अनुसार तथा मिताक्षरा हिन्दु विधि के अनुसार भी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का समान रूप से बराबर अधिकार है। परन्तु प्रतिवादी न0 1 के मन मे बेईमानी व फितूर उत्पन्न हो गया है वह पटवारी व सरपंच से साजकर वादी को उसके हिस्से से महरूम कर केवल 1/4 हिस्सा ही देना चाहता है। जबकि कानूनन वादी का उक्त आराजीयात मे 1/2 हिस्सा है। प्रतिवादी न0 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 व 3 से मिलकर एक गिरोह बना रखा है जो लठठ के जोर पर वादी को उसके हिस्से 1/2 से बेदखल कर झूठे मुकदमे मे फसाकर पटवारी व सरपंच से साजकर 3/4 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी न0 1 ता 3 के नाम तथा 1/4 हिस्से की खातेदारी वादी के नाम दर्ज करवाना चाहता है जो बिलकुल गलत है तथा कानून के विपरीत है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता ने अपने जीवनकाल मे ही करीब 30 साल पूर्व उक्त आराजीयात का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य विभाजन कर मौके पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को अलग अलग कब्जा करा दिया । वादी विगत 30 वर्षो से अलग अलग रहता है तथा अपने हिस्से की आराजी पर काश्त कर अपने परिवार का पालन कर रहा है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रत्येक खसरा न0 मे से आधा आधा हिस्सा बांट रखा है। खसरा न0 114 रकबा 60 ऐयर मे से 30 ऐयर रकबा पश्चिम दिशा की और का वादी के हिस्से मे है जिसमे वादी ने अपनी रिहायशी बाखल बना रखी है तथा एक पुख्ता चाह का निर्माण करवा रखा है। उक्त चाह सूख चुका है। जिसके बगल मे वादी ने अपना टयूबवेल करवाकर विधुत कनेक्शन लेकर सिचाई हेतु मोटर लगा रखी है। वादी वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से पर तन्हा रूप से काबिज है। तथा काश्त कर लगान सरकारी अदा करता चला आ रहा है। प्रतिवादी न0 1 ता 3 को वादी के 1/2 हिस्से की आराजी के उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। प्रतिवादी न0 1 चालाक किस्म का व्यक्ति है जो येन केन वादी को उसके हिस्से से महरूम करना चाहता है । प्रतिवादी न0 2 ख्लालबाई का विवाह अमरसिह निवासी राजौली के साथ हुआ है। ख्यालबाई अपनी ससुराल राजौली मे रही है तथा प्रतिवादी न0 3 सोमोती अपने पुत्र कल्याण के साथ रहती है। प्रतिवादी न0 3 वादी की सौतेली माँ है जो आन्तरिक रूप से वादी से मुनमुटाव रखती है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 वादी से उसके हिस्से की भूमि जबरन छीनकर हडप करना चाहते है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को दिनांक 2[illegible].06 को [illegible] दी कि मै अपने पिता द्वारा छोडी गई आराजी मे तुम्हारा 1/4 हिस्सा ही दर्ज करवा[illegible] तथा शेष 3/4 हिस्से मेरे,ख्यालीबाई व माँ सोमोती के नाम दर्ज करवाउगा। मेने पटवारी व सरपंच [illegible] कर ली है। माँ व बहन का हिस्सा वाद मे मै अपने नाम दर्ज करव लूगा। [illegible] प्रतिवादी सख्या 1 से कहा कि पिताजी से 30 साल पहले बंटवारा कर दिया इसलिए तुम मु[illegible] बेईमानी मत करो। इस पर वह नही माना एवं वादी को ऐलानियां धमकी दी कि तुम्हे उक्त खेतो मे फसल काश्त नही करने दूगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:54:27 IST
Reason: Self Attested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर (राज.)

तथा यदि फसल बोने मे सफल हो गया तो तुम्हारी बोई हुई फसल को काट लूगा। इसलिए दावा पेश करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादी न0 1 ने वादी से भूमि का विभाजन कराने से इंकार कर दिया। तथा वादी को उसके हिस्से की भूमि पर काश्त करने मे दिनांक 20.9.06 को बाधा उत्पन्न की। प्रतिवादी न0 1 ता 3 पटवारी हल्का व सरपंच से साज कर मुतदाविया का विरासत का नामा0 गलत तरीके से अपने नाम करवाकर उक्त आराजी को तुरन्त ही दीगर व्यक्तियो को रहन बय कर सकते है। जिसे प्रतिवादी न0 5 पंजीवद्व करने पर आमादा है। अतः दावा डिकी किया जाकर खसरा न0 10 रकबा 0.14 है0 , 26 रकबा 0.14 है0, 110 रकबा 0.31 है0, 111/906 रकबा 0.04 है0, 112 रकबा 0.06 है0, 114 रकबा 0.60 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.29 है0 वाके ग्राम खेडी चांदला तहसील हिण्डौन सिटी के 1/2 भाग का वादी को खातेदार टीनेन्ट घोषित फरमाया जावे तथा शेष 1/2 हिस्से का खातेदार प्रतिवादी न0 1 को घोषित फरमाया जावे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती करने का आदेश प्रतिवादी न0 4 तहसीलदार को प्रदान किया जावे। वादग्रस्त आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी न0 1 के मध्य नरस सरस से बराबर बराबर विभाजन किया जाकर अलग अलग खाते कायम किये जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। वादी को उक्त आराजीयात से बेदखल नही करे। प्रतिवादी न0 5 को पाबन्द किया जावे कि उक्त आराजी का विभाजन हुए बिना कोई भी हिस्सा को ट्रासफर यथा रहननामा,बयनामा दान पत्र या अन्य कोई दस्तावेज पंजीवद्व नही करे। रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रतिवादी न0 4 को पाबन्द किया जावे। प्रतिवादी न0 6 का रहन का इन्द्राज हटाया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद पत्र प्राथमिक डिकी किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषकगणो की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल एवं खिलाफ रिकार्ड होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा न0 10 रकबा 0.14 है0 , 26 रकबा 0.14 है0, 110 रकबा 0.31 है0, 111/906 रकबा 0.04 है0, 112 रकबा 0.06 है0, 114 रकबा 0.60 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.29 है0 वाके ग्राम खेडी चांदला तहसील हिण्डौन सिटी जो अपीलांट व रेस्पो0 न0 1 के मृतक पिता मिश्रा की भूमि थी तथा अपीलांट व रेस्पो0 न0 1 को संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य होना अदालत मातहत ने अपनी तनकी न0 1 मे माना है तथा वादग्रस्त आराजी [illegible] एवं रेस्पो0 संख्या 1 के पिता मिश्रा को अपने पिता भौरया से विरासत मे प्राप्त हुई है [illegible] संपाति मे पुत्र पुत्रियो को बाई बर्थ जन्म सिद्व अधिकार होता है, को अदालत मातहत द्वारा अनदेखा कर तनकी न0 1 व 2 वादी /रेस्पो0 न0 1 कब्जे मे साबित मानने मे भारी भूल की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्राथमिक डिकी अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 3 का निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:54:27 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

करते समय इस बात की अनदेखी की गई कि रेस्पो0 न0 1 द्वारा दिनांक 22.9.06 को जब वाद पत्र प्रस्तुत किया गया उस समय वादग्रस्त भूमि की खातेदारी अपीलांट व रेस्पो0 न0 1 के पिता मिश्रा के नाम खातेदारी दर्ज थी। तो फिर अपीलांट द्वारा दिनांक 30.9.06 को रेस्पो0 न0 1 को वादग्रस्त भूमि के संबंध मे धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नही होता। क्योकि वादग्रस्त भूमि ना तो रहन से मुक्त हुई ना ही वादग्रस्त भूमि का विधिवत नामा0 मिश्रा के वारिसो के मध्य दावा दायरी से पूर्व खोला गया तथा अदालत मातहत द्वारा मात्र दिनांक 20.4.15 को खोले गये नामा0 संख्या 600 को आधार बनाकर तनकी न0 5 रेस्पो0 न0 1 के हक मे करने मे भारी कानूनी भूल की है। क्योकि रेस्पो0 न0 1 को अपीलांट के विरूद्व कोई भी वाद हेतुक ही उत्पन्न नही हुआ फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर नही कर निर्णय व डिक्री पारित करने मे भारी कानूनी भूल की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ने रेस्पो0 न0 1 द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जिससे यह साबित हो सके कि अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 के परिवारजन मीना जाति की रूढी एवं प्रथा के अनुसार अपने कार्य करते है क्योकि रेस्पो0न0 1 व गवाह पी डब्लू 2 रामचरण,गवाह घनश्याम द्वारा अपने बयान व जिरह मे यह कथन किया कि हमारे रिती रिवाज हिन्दुओ की तरह ही है रिती रिवाज हिन्दुओ से हटकर नही है । उक्त तथ्य एवं बयानो पर अदालत मातहत द्वारा गौर नही किया ना ही अदालत मातहत द्वारा अपीलांट व रेस्पो0 न0 1 के बयान एवं गवाहो के बयानो के बारे मे अपने निर्णय मे किसी प्रकार से विश्लेषण किया गया। उक्त गवाहो के बयानो को एवं ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नही था कि अपीलांट एवं रेस्पो0 न0 1 का परिवार मीना जाति की रूढी व प्रथा पूर्वजो के समय से चली आ रही है। जिससे यह साबित हो सके कि अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 के परिवार मे महिला को पैतृक सम्पति मे कानूनी अधिकार नही होते है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य का मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही होने के बाबजूद भी तनकी संख्या 3 वादी/रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष मे साबित मानकर भारी तथ्यात्मक एवं कानूनी भूल की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का का निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने मूलवाद के प्रतिवादी न0 3 सामोती की मृत्यु दौराने दावा दिनांक 22.10.16 को हो जाने के पश्चात सोमोती के वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना मृतक सामोती के विरूद्व निर्णय व डिक्री पारित करने मे कानूनी भूल की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। मूलवाद के प्रतिवादी न0 3 सोमोती की मृत्यु दिनांक 22.10.16 को हो गई जिसके विधिक वारिसान अपीलांट व प्रतिवादी न0 1 है जो मृतक सोमोती के तर्क पर काबिज एवं दखली है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.9.22 निरस्त किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार मृतक मिश्रा के विधिक वारिसान जो अपीलांट एवं प्रतिवादी न0 1 है के नाम खातेदारी दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस के तर्क दिया कि पक्षकार मीना जाति के है जो कि अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते है। अनुसूचित जनजाति पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होते है। मीना जाति की महिलाओ यथा पत्नि व पुत्रियो को खातेदारी भूमि मे विरासत के आधार पर कानूनन कोई खातेदारी अधिकार नही मिलते है। मीना जाति मे पुराना हिन्दु लॉ

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:54:27 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

लागू होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम मीना जाति पर लागू होते है या नही के संबंध मे तनकी संख्या 3 कायम की जाकर तनकी संख्या 3 का पूर्ण विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त उक्त तनकी वादी के पक्ष मे निर्णित की गई है जिसमे उन्होने स्पष्ट उल्लेख किया है कि पक्षकारान मीणा जाति के है जो कि अनुसूचित जनजाति की श्रेणी मे आते है इसलिए अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियो पर धारा 2 (2) हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है। जो विभिन्न न्यायिक दृष्टांतो से स्पष्ट है। जिसके तहत विधवा व पुत्री को कोई हक प्राप्त नही होते है। अनुसूचित जनजाति के सदस्यो पर पुरान हिन्दु लॉ लागू होता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अन्य तनकीयात को भी वादी/रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष मे साबित माना है। जिनमे सम्पूर्ण तनकीयात को वादी के पक्ष मे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाकर विवादित आराजीयात मे वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का 1/2 हिस्सा एवं अपीलांट संख्या 1 का हिस्सा 1/2 का खातेदार घोषित किया जाकर विवादित आराजीयात की सरस नरस से बंटवारा स्कीम तैयार करने हेतु तहसीलदार को मौका कमिश्नर नियुक्त करने के आदेश प्रदान किये गये है परन्तु अपीलांट द्वारा बिना मौका रिपोर्ट आये ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की अपील न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत कर दी गई है जिसके कारण प्रकरण मे फाईनल डिक्री की प्रोसिडिंग स्थगित हो गई है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा विधि विरूद्व तरीके से यह अपील न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत क गई है। जो खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि भूमि खसरा न0 10 रकबा 0.14 है0 , 26 रकबा 0.14 है0, 110 रकबा 0.31 है0, 111/906 रकबा 0.04 है0, 112 रकबा 0.06 है0, 114 रकबा 0.60 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.29 है0 वाके ग्राम खेडी चांदला तहसील हिण्डौन सिटी मे स्थित है। जो कि मृतक मिश्रा की खातेदारी की भूमि थी। अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 संयुक्त हिन्दु परिवार के होने से उसमे दोनो का समान हिस्सा बताकर वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पेश किया जाकर मृतक मिश्रा की आराजीयात मे से 1/2 , 1/2 हिस्से की खातेदारी पृथक पृथक दर्ज करने की प्रार्थना की गई थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार श्रीमहावीरजी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर विवादित आराजीयात की सरस नरस से हिस्सा अनुसार विधिवत बंटवारा कर मौका रिपोर्ट भिजवाने के आदेश दिये गये है। अपीलांट का कथन रहा कि वादग्रस्त आराजीयात मृतक मिश्रा की खातेदारी की भूमि थी जिसमें मृतक के अन्य वारिसान अपीलांटगण कल्याण व ख्याल बाई का भी बराबर हिस्सा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक मिश्रा की पुत्री को भूमि मे से कोई हिस्सा नही दिया गया है जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक की विरासत मे पुत्र एवं पुत्रियो को भी समान हिस्सा होता है। इस पर रेस्पो0 [illegible] का तर्क रहा कि मीणा जाति जो अनुसूचित जनजाति संवर्ग मे आते है उन पर हिन्दु [illegible] अधिनियम लागू नही होते है बल्कि पुराना हिन्दु लॉ लागू होता है जिसके अनुसार मीणा जाति मे महिलाओ को विरासत मे कोई अधिकार प्राप्त नही है। कानूनन अनुसूचित जन जाति के पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 (25) के तहत अनुसूचित जनजाति पर लागू

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:54:27 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

नही होते है। अनुसूचित जनजाति के सदस्यो पर पुराना हिन्दू लॉ लागू होता है। इस प्रकार मृतक मिश्रा की विरासत मे ख्यालबाई का कोई अधिकार नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र मे तनकीवार विवेचन किये जाने के उपरान्त प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो को भलीपूर्वक अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन के मु0नं0 203/06 मे पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.9.22 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.5.25 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:54:27 IST
Reason: SelfAttested